भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 412
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2023

दिव्यांग छात्रों को मुफ्त कोचिंग

412. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने दिव्यांग छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शर्तों में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांग छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रहे कोचिंग संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों ने दिव्यांग छात्रों हेतु मुफ्त कोचिंग योजना का लाभ उठाया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): 'दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग' योजना के दिशानिर्देशों को पुन: तैयार किया गया है जो 01.04.2023 से लागू हैं। इस योजना का उद्देश्य बेंचमार्क दिव्यांगता (न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले) वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने और विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सक्षम बनाने के लिए नि:शुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करना है। पुनर्निर्मित योजना निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है: -

(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (डीएएफ) द्वारा कार्यान्वित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय संस्थान / समेकित क्षेत्रीय केंद्र।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी छात्र ने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है।

*****